अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2020(GCMS 2020/00166) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/311179) <u>बनाम</u> जिला निर्वाचन अधिकारी,श्रीगंगानगर

<u>08.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न छः बिन्दु की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. राजस्थान निर्वाचन विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ6(1)(58)रोल/निर्वा/2009/5361 दिनांक 02.07.2016 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्रांक 536 दिनांक 02.07.2016 में अंकित पत्रों की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्रांक 536 दिनांक 02.07.2016 में ंकित पत्रों पर आप द्वारा जो जो कार्यवाही आज तक की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में आपके कार्यालय द्वारा जिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गयी है, उस अधिनियम के नियम की धारा की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
6. लोक सेवा गांरटी अधिनियम उक्त पत्रांक 536 दिनांक 02.07.2016 व इसमें अंकित पत्रों के सम्बन्ध में मिलने वाले समय की सूचना, कार्यवाही करने बाबत व इस सम्बन्ध में प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(56)RTIनिर्वा/2020/1755 दिनांक 07.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 आईपीओ नं. 48एफ—311179 इस कार्यालय को दिनांक 26.06.2020 को प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 1 से 6 में आप द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युतर निम्नानुसार है।
>
> राजस्थान सूचना का अ[illegible]नियम 2005 की धारा 2च में सूचना [illegible] कोई भी सामग्री जिसमें सिकी भी इलेक्ट्रोनिक्स [illegible]प में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस—विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2020

> संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकर कर किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> उप जिला निर्वाचन अधिकारी
> श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में [illegible] सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है [illegible] अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी [illegible] रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को [illegible]कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर, को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested